न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 19/2025

बउनवान

शम्भूदयाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जाति धाकड़, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

जिला कलक्टर न्यायालय बाराँ (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 13.10.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 12.03.2025 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1708 रकबा 1.50 है., पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 12.03.2025 को निर्णय पारित कर 2400/–रूपये शास्ति आरोपित कर दो माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का उक्त भूमि पर तथा अन्य किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अपीलांट को विधिवत तामील नहीं होने पर भी अनुपस्थित मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट स्वंय के खाते की आराजी खसरा नंबर 1707 रकबा 0.92 है. पर काबिज काश्त है। खसरा नंबर 1707 एवं 1708 पास पास स्थित होने से बिना पैमाइश किये गैरकानूनी तरीके से सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2025 निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज०)

किया गया था लेकिन विधिवत तामील नहीं होने के कारण अपीलांट को अनुपस्थित मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा कर एक तरफा निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है, और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.03.2025 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2081 में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 124/24 निर्णय दिनांक 01.10.2024 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1708 रकबा 1.50 है0 किस्म बंजड़ ग्राम बमोरीकलां पर सम्वत् 2081 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 124/24 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 367/2025 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:47 IST
Reason: SelfAttested

किया गया था लेकिन विधिवत तामील नहीं होने के कारण अपीलांट को अनुपस्थित मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा कर एक तरफा निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।